मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र.11218 /22/वि-12/ग्रास/लेखा/स.प्र.वि/ दिनांक 15.6.2015

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई

....

विषय- परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों का तकनीकी एवं लेखा परीक्षण।

संदर्भ- माह अप्रैल 2015 में किए गए इकाईयों के तकनीकी एवं लेखा निरीक्षण।

विदित है कि माह अप्रैल 2015 में विभिन्न इकाईयों के तकनीकी एवं लेखा निरीक्षण मुख्य महाप्रबंधकों के तत्वाधान में परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों का कार्यालयीन निरीक्षण किया गया था जिसमें इकाईयों द्वारा संधारित किए जा रहे समस्त दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान सामान्य तौर पर इकाईयों में पाई गई कॉमन त्रुटियों के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं -

मद	इकाईयों पर पाई गई विसंगति	सुधार हेतु निर्देश
एम.बी. का संधारण	कुछ इकाईयों द्वारा बिल एम.बी. में पूरा बिल कम्प्यूटर से प्रिंट कर चस्पा किया जा रहा है, कुछ इकाईयों द्वारा उपयोगी की गई सामग्री के विवरण की सील लगाई जा रही है जो कि अपठनीय है।	एम.बी. में सामग्री के केवल nomniclature चस्पा किया जा सकता है, एस.ओ.आर. का आयटम क्रमांक एवं उसकी हेडिंग हस्तलिखित होना चाहिए, चस्पा किए जाने वाले nomniclature के उपर हस्तलिखित होना चाहिए, साथ ही सामग्री की मात्रा, दर एवं राशि आदि सभी हस्तलिखित होना आवश्यक है। मेजरमेंट एम.बी. पूर्णतः हस्तलिखित होना चाहिए, केवल प्रारंभिक लेबल को चस्पा किया जा सकता है। एम.बी. में मेजरमेंट चैक किए जाने वाले अधिकारी के नाम सहित एवं पदनाम की सील सहित हस्ताक्षर, दिनांक एवं mesurment checked by me की टीप के साथ अंकित होना चाहिए।
निर्माण कार्य देयक	निर्माण कार्य देयकों में पाया गया कि कुछ इकाईयों द्वारा स्टेशनरी पर उपलब्ध बिल फार्म 27 का उपयोग किया जा रहा है जिसमें केवल एस.आर.आर. आयटम क्रमां एवं राशि अंकित की जा रही है, कुछ इकाईयों पर अनावश्यक विवरण अंकित किया जा रहा है, बिल फार्म पर एम.बी. पेज नंबर, हस्ताक्षर आदि रिफरेन्सिंग उचित नहीं पाई गई।	ठेकेदारों के देयकों हेतु बिल फार्म 27 का ही उपयोग किया जाए एवं देयकों पर एम.बी. पेज नंबर, आदि की प्रॉपर रिफरेन्सिंग की जाए।

E/2012/after/letters/309

अनुरक्षण	कुछ इकाईयों पर पाया गया है कि अनुरक्षण मद में परफार्मेन्स इंडेक्स एम. बी. में अंकित नहीं किया जा रहा है, कुछ सीमों पर छमाही परफार्मेन्स इंडेक्स भरी जा रह रही है, परफार्मेन्स इंडेक्स हेतु कंसलटेन्ट की सेवाएँ ली जा रही है, सामान्य संधारण में तिमाही भुगतान किया जा रहा है	परफार्मेन्स इंडेक्स को एम.बी. में लिया जाना चाहिए, पॉच वर्षीय सामान्य संधारण हेतु कंसलटेन्ट की सेवाएँ समाप्त की जा चुकी है इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, प्रति दो माह में परफर्मोन्स इंडेक्स भरी जाना चाहिए, परफर्मोन्स इंडेक्स में निरीक्षण की दिनांक आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए। परफार्मेन्स इंडेक्स एम.बी. का पार्ट होना चाहिए। देयकों का अनुबंधानुसार छमाही भुगतान किया जाना चाहिए
देयकों से कटोत्रा	कुछ इकाईयों पर पाया गया कि ठेकेदारों के देयकों से अनियमित रुप से राशि की कटोत्री विविध जमा मद में निम्नानुसार मदों में की जा रही है Deduction for Checking Deduction for Insurance Deduction for EPF etc. राशि काटने के उपरांत कई दिनों तक राशि ठेकेदार को वापस नहीं होती। पाया गया है कि फाईनल बिल का भुगतान होने के उपरांत भी विविध जमा मद में ठेकेदार की राशि इकाई पर जमा रहती है	इस प्रकार की मदों में ठेकेदार के देयकों से राशि काटने का कोई औचित्य नहीं है, ठेकेदार के देयकों से टैक्स, सिक्युरिटी डिपाजिट के अतिरिक्त कोई भी राशि काटी जाने पर स्पष्ट टीप एम.बी. में दी जावे एवं एक माह के अंदर जिस उद्देश्य से राशि काटी गई है उसे पूर्ण कराकर काटी गई अतिरिक्त राशि ठेकेदार को वापस की जावे। फाईनल बिल होने के साथ ही सिक्युरिटी डिपाजिट/ परफार्मेन्स सिक्युरिटी की राशि को छोडकर शेष सभी राशियों का समायोजन किया जाकर शेष राशि ठेकेदार को वापस की जाए।
ठेकेदार वाईस डिपाजिट रजिस्टर	अधिकांश इकाईयों पर डिपाजिट ठेकेदारों से संबंधित ठेकेदार वाईस डिपाजिट का डिपाजिट का विवरण नहीं पाया गया, रिलीज करते समय कैश बुक एवं नोट शीट में गोला लगाकर राशि रिलीज की जाती है।	इकाईयों पर ठेकेदार भुगतान/डिपाजिट रजिस्टर संधारित होना चाहिए जिससे किसी भी समय ठेकेदार की राशि रिलीज की जा सके। ठेकेदार के भुगतान एवं डिपाजिट से संबंधित रजिस्टर का प्रारुप संलग्न प्रपत्र-1 में प्रेषित किया जा रहा है। रजिस्टर शीघ्र संधारित कर आगामी अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत करें।
टर्मिनेटेड पैकेजों के फाईनल देयक	टर्मिनेटेड पैकेजों में फाईनल बिलों का भुगतान नहीं होना	पैकेज टर्मिनेट होने की स्थिति में संबंधित ठेकेदार का इनकम्पलीट फाईनल बिल तैयार किया जाए एवं उसका उचित लेखांकन किया जाए।
ठेकेदारों से बसूली	ठेकेदारों से बसूली के प्रकरणों में पाया गया है कि प्रकरण न्यालय मे विचाराधीन है जबकि न्यायायल द्वारा बसूली रोकने के संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं है।	जब तक कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देश नहीं हो तब तक ठेकेदार से बसूली के संबंध में कार्यवाही नहीं रोकी जाना चाहिए चाहे प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन ही क्यों न हो।
आर. आर.सी	आर.आर.सी. के प्रकरणों में पाया गया है कि इकाईयों द्वारा जिला कलेक्टर को पत्र जारी किया गया होता है	जिला कलेक्टर को आर.आर.सी. जारी करने हेतु पत्र जारी किया जाना आर.आर.सी. जारी किया जाना नहीं होता, जिला कलेक्टर से संपर्क कर रेवेन्यू शाखा से बसूली हेतु

		कार्यवाही भी किया जाना चाहिए।
बैंक ग्यारंटी	बैंक ग्यारंटियों के संबंध में पाया गया कि कुछ इकाईयों द्वारा नवीनीकरण हेतु बैंक को पत्र लिखा जा रहा है, बैंक ग्यारंटी का सतत निरीक्षण नहीं हो रहा, पैकेजवाईस बैंक ग्यारंटी एवं एफ.डी.आर. का विवरण उपलब्ध नहीं पाया गया, नवीनीकरण में मूल बैंक ग्यारंटी का नंबर परिवर्तित पाया गया, इकाई स्तर से नवीनीकरण हेतु बैंक को प्रेषित की गई जो मूलतः इकाई को वापस प्राप्त नहीं हुई आदि	निश्चित ही इकाईयों पर बैंक ग्यारंटी के संधारण की स्थिति सुधरी है, बैंक ग्यारंटी के नवीनीकरण कराने की जिम्मेदारी ठेकेदार की है पूर्णता तिथि के एक सप्ताह पूर्ण ठेकेदार से नवीनीकरण कर प्राप्त की जाए, टर्मिनेट होने की स्थिति में तत्काल बैंक ग्यारंटी एवं एफ.डी.आर. का नगदीकरण कराया जाए।
अग्रिम वसूली	कुछ इकाईयों पर ठेकेदारों को दिए गए मोबेलाईजेशन एवं मशीनरी अग्रिम की नियमित वसूली नहीं पाई गई	ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम की वसूली अनुबंधानुसार की जाना चाहिए संभव हो तो वसूली की किश्त के अनुसार ठेकेदार से बैंक ग्यारंटी प्राप्त की जाए जिससे कार्य संपादित नहीं होने की स्थिति में बैंक ग्यारंटी के नगदीकरण कर अग्रिम की वसूली की जा सके।
स्टेज पासिंग	कुछ ईकाईयों पर स्टेज पासिंग नहीं पाई गई।	नियमित रूप से स्टेज पासिंग की जाना चाहिए।
स्थापना व्यय	कुछ ईकाईयों पर अनियमित स्थापना व्यय पाया गया	स्थापना व्यय को नियंत्रित किया जाए।

उक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में समय-समय पर निर्देश प्रसारित किए गए हैं। निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनुमोदित)

(हस्ताक्षर)
(सतीश चंद्र दुबे)
मुख्य महाप्रबंधक वित्त
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

पृ.क्र. 11219 /22/वि-12/ग्रास/लेखा दिनांक 15.6.2015

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख अभियंता, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, समस्त की ओर सूचनार्थ।
3. लेखाधिकारी, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(हस्ताक्षर)
मुख्य महाप्रबंधक वित्त
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

Annexure-I

Contractor Payment / Deposit register

MP Rural Road Development Authority

Project implementation Unit ....

Package No .... Agreement Date .... Firm Name ....

Work order Date .... Completion date .... PAC .... Tender % .... Amount including Tender % ....

R.Bill No.	Date	Cash Book voucher No.	Bill MB P.G. No.	Gross Amount	Cheque Amount	Deduction	Machinery Advance			Mobilization Advance			Security Deposit			Misc. Deposit Deposit I			Misc. Deposit Deposit II			Income Tax			Commercial Tax			Upkar			Dated signature of AO
							Credit	Debit	Balance	Credit	Debit	Balance	Credit	Debit	Balance	Credit	Debit	Balance	Credit	Debit	Balance	Credit	Debit	Balance	Credit	Debit	Balance	Credit	Debit	Balance	